न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 42/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00359

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
घीसाराम पुत्र दरगाजी जाति सीरवी, निवासी–घेनड़ी, तहसील रानी जिला पाली (राज.)		सरकार जरिये उप तहसीलदार खिवाड़ा, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15/02/2021

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार खिवाड़ा के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 94/2020 सरकार बनाम घीसाराम में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का घेनड़ी ने अपीलाण्ट को ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 660 रकबा 00.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर एवं खसरा नम्बर 658 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर बाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 94/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2020 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 08.10.2020 को उपस्थित हुआ, तो आदेशिका पर अंगुठे का निशान लगाकर पुनः न्यायालय में आने कह कर भेज दिया। इसके पश्चात मातहत अदालत ने दिनांक 12.10.2020 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित किया [illegible]स्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। [illegible] करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का [illegible] नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व [illegible] का पुरा अवसर दिये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण हटा दिया है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर, पाली

इस संबंध में अपीलाण्ट ने न्यायालय में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 15.12.2020 को यानि गिरफ्तार करने पुलिस उसके घर आई तब वह मजदूरी करने गया हुआ था, शाम को घर आने पर घरवालों से पता चलने पर दिनांक 16.12.2020 को जैर अपील आदेश की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2014-15(Supp.) page no. 680 & RRT 2011(2) Page no. 1163 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने अपीलाण्ट स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी घेनड़ी ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि दिनांक 15.12.2020 पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई, तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई, इस कारण उसे जैर अपील आदेश की समय पर जानकारी नहीं हुई। अतः न्याय की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्ट का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में ग्राम घेनड़ी के खसरा नम्बर 660 रकबा 00.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर एवं खसरा नम्बर 658 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर उप तहसीलदार खिवाड़ा ने पटवारी हल्का घेनड़ी की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 15.09.2020 को प्रकरण संख्या 94/2020 दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो अपीलाण्ट स्वयं ने तामील किया। इसके पश्चात अपीलाण्ट दिनांक 08.10.2020 को मातहत अदालत में उपस्थित हुआ एवं उसने कब्जा होना स्वीकार किया तथा हटाने बाबत समय चाहा। इसके पश्चात अपीलाण्ट आगामी तारीख पेशी 12.10.2020 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उसके द्वारा किया गया अतिचार पश्चातवर्ती अतिचार की श्रेणी में आने से, उसे आदतन अतिचारी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम [illegible] की धारा 91(2) के तहत जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/- रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। पत्रावली [illegible] हल्का पटवारी के बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था तथा उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा पुनः जैर अपील आराजी पर पुनः अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा शपथ पत्र पेश किया है कि उसने खसरा नम्बर 660 रकबा 00.01 हैक्टेयर किस्म गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गौचर एवं खसरा नम्बर 658 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की भूमि पर से अपना कब्जा हटा दिया है, लेकिन उप तहसीलदार खिवाड़ा के पत्रांक राजस्व/2021/163 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा प्राप्त भू. अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 660 पर अतिक्रमण यथावत है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने खसरा नम्बर 658 की भूमि पर से कब्जा हटा दिया है, लेकिन खसरा नम्बर 660 की भूमि पर आज भी काबिज है, लेकिन अपीलाण्ट ने न्यायालय में एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि वह खसरा नम्बर 660 की आराजी पर से कब्जा हटा देगा तथा भविष्य में वह किसी भी सरकारी आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलाण्ट एक ग्रामीण एवं पशुपालक व्यक्ति होने के कारण इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मातहत अदालत द्वारा अधिरोपित जुर्माना एवं जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। उप तहसीलदार खिवाड़ा को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:22 IST
Reason: SelfAttested